न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) प्रथम, हापुड़।
मूलवाद सं0 222/2022
कम्प्यूटर सं0 471/2022
माया देवी बनाम रोहित आदि
CNR No-UPHP060008372022

<u>लंचबाद दिनांक 15.02.2023:–</u> पत्रावली लंचबाद पेश हुई। उभय पक्षकार जरिए विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। अतः उभय पक्षकारों के अभिकथनों के आधार पर निम्नांकित वाद बिन्दु विरचित किये जाते है।

1:– क्या वादनी वादपत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रतिवादीगण को अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करा पाने का अधिकारी है तथा इस आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है? यदि हॉ तो प्रभाव?

2:– क्या वादनी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

3:– क्या वादनी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

4:– क्या प्रस्तुत वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?

5:– क्या वादनी को कोई वाद कारण प्राप्त है?

6:– क्या वादनी अन्य किसी अनुतोष को प्राप्त करने का विधिक रूप से अधिकारी है?

उपरोक्त वाद बिन्दुओं के अतिरिक्त पक्षकारों के अभिकथनों के आधार पर अन्य कोई वाद बिन्दु विरचित किये जाने की आवश्यकता नहीं होती है। पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु सं0 2 व 3 दिनांक 15.03.2023 को पेश हो।

(रवि कुमार)
सिविल जज (जू0डि0) प्रथम,
हापुड़।